विविध बैंक प्रकरण सं0 77/2020 (RCMS 2020/00220) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री निशांत खुराना प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1 मैसर्स गौरव कॉम्यूनिकेशन जरिये प्रो. श्रीमती नीरज पत्नी श्री ओम प्रकाश शाक्य C/o ओम कॉम्यूनिकेशन, नजदीक कनाट पैलेस चौक, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 2. श्री ओम प्रकाश शाक्य पुत्र श्री जगदीश शाक्य निवासी वार्ड नं. 19, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 19.10.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स गौरव कॉम्यूनिकेशन –प्रो. नीरज एवं ओम प्रकाश शाक्य को ऋण सुविधा के रूप में 20/– लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.05.2016 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **ओम प्रकाश शाक्य** की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 04(10' गुणा 10'), वार्ड नं. 12, नगरपालिका के सामने, अनूपगढ में स्थित प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.11.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.11.2019 को 21,00,207/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 21.01.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रजिस्टर्ड डाक दिनांक 21.01.2020 को भिजवाये गये है जो पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन कन्साईनमैंट के अनुसार उन्हें प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी **ओम प्रकाश शाक्य** की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 04(10' गुणा 10'), वार्ड नं. 12, नगरपालिका के सामने, अनूपगढ के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स गौरव कॉम्यूनिकेशन –प्रो. नीरज एवं ओम प्रकाश शाक्य को 20.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **ओम प्रकाश शाक्य** की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 04 (10' गुणा 10'),वार्ड नं. 12, नगरपालिका के सामने, अनूपगढ जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक **30.11.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.01.2020 को जारी करने तथा दिनांक 04.02.2020 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद** पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की फोटो प्रति उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स गौरव कॉम्यूनिकेशन –प्रो. नीरज एवं ओम प्रकाश शाक्य को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी हैं

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 04(10' गुणा 10'), वार्ड नं. 12, नगरपालिका के सामने, अनूपगढ **जो ऋणी ओम प्रकाश शाक्य** के नाम से है जो **प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है** का संबध है और जिस संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.01.2020 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.10.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स गौरव कॉम्यूनिकेशन –प्रो. नीरज एवं ओम प्रकाश शाक्य को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.02.2020 को जारी किये गये है, जिनको भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीदें रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण मैसर्स गौरव कॉम्यूनिकेशन –प्रो. नीरज एवं ओम प्रकाश शाक्य को धारा 13(2) की तामील के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी ओम प्रकाश शाक्य की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 04(10' गुणा 10'), वार्ड नं. 12, नगरपालिका के सामने, अनूपगढ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **ओम प्रकाश शाक्य** द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक दुकान नं. 04 (10' गुणा 10'), वार्ड नं. 12, नगरपालिका के सामने, अनूपगढ का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर कों पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर